रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253978
CG-DL-E-30042024-253978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 256(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन वर्ग-I अधिकारी को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1अगस्त, 2022 या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु यह कि जहाँ यदि कोई वर्ग-I अधिकारी 1 अगस्त, 2022 के पूर्व और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अपश्चात इन नियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित किए जाने के लिए अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम को एक लिखित नोटिस देता है, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार चुनी हुयी तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा।

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2022 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसा अधिकारी जिसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकायों के लिए पात्र नहीं होगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"**4. वर्ग-I अधिकारियों के वेतनमान और वरिष्ठता.**- (1) वर्ग-I अधिकारियों के वेतनमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे:-

क्र.सं.	प्रविष्टि	वर्ग-I अधिकारी का पद	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	क्षेत्रीय प्रबंधक	(क) सामान्य वेतनमान: 2,41,965-7,320(8)-3,00,525 रुपये
	(ii)	मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद	(ख) चयन वेतनमान: 2,71,245-7,320(2)-2,85,885-7,850(1)-2,93,735-8,590(1)-3,02,325-8,905(4)-3,37,945 रुपये
2.	(i)	उप क्षेत्रीय प्रबंधक / वरिष्ठ मंडल प्रबंधक	2,16,115-6,265(3)-2,34910-7,055(6)-2,77,240 रुपये
	(ii)	उप मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य वास्तुविद	
3.	(i)	मंडल प्रबंधक	1,78,525 - 6,265 (9) -2,34,910 रुपये
	(ii)	अधीक्षण इंजीनियर/ वरिष्ठ संकर्म सर्वेक्षक / वरिष्ठ वास्तुविद	
4.	(i)	सहायक मंडल प्रबंधक / वरिष्ठ शाखा प्रबंधक	1,45,640 – 4,385(1)-1,50,025-4,750(6)-1,78,525-6,265(4)-2,03,585 रुपये
	(ii)	कार्यपालक इंजीनियर/ संकर्म सर्वेक्षक / उप वरिष्ठ वास्तुविद	
5.	(i)	प्रशासनिक अधिकारी / शाखा प्रबंधक	1,19,330-4,385(7)-1,50,025-4,750(6)-1,78,525 रुपये
	(ii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर / सहायक संकर्म सर्वेक्षक /वास्तुविद	
6.	(i)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी / सहायक शाखा प्रबंधक	88,635-4,385(14)-1,50,025-4,750(4)-1,69,025 रुपये
	(ii)	सहायक इंजीनियर / सहायक वास्तुविद	

(2) उप-नियम (1) की सारणी में विभिन्न क्रम संख्याओं के अधीन प्रविष्टि (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में एक पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(1) वर्ग-I अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा: -

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) आधार: 1960=100 की श्रृखला में सूचकांक सं 8456

(ग) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 8456 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए वर्ग-I अधिकारी को वेतन और नियम 7छ के अधीन विशेष भत्ता पर 0.06 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. –इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिससे नियम 4क के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात मूल वेतन मे वृद्धियां भी सम्मिलित हैं।';

(ख) उप-नियम (2) में, "6352 प्वाइंट से ऊपर होने पर 6352-6356-6360-6364", अंकों और शब्दों के स्थान पर, "8456 प्वाइंट से ऊपर होने पर 8456-8460-8464-8468", अंक और शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(1) वर्ग-I अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
(1)	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 13,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 11,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 10,500/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , –

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियों का एकजीकरण सम्मिलित होंगी ; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 9क के अधीन नियत वैयक्तिक भत्ता ।' ।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'**7. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता**- वर्ग-I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकारात्मक भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर।	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 3,300/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन

2.	क्रम संख्या 1 पर वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 3,100/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन
3.	वह नगर जिनकी आबादी पाँच लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुडुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला।	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 2,400/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , -

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां।' ।

6. उक्त नियमों के नियम 7क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"**7क पर्वतीय स्थान भत्ता.**- वर्ग-I अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्रम सं.	स्थान	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्री तल से 1500 मीटर तथा अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2,055/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन
2.	1000 मीटर से अधिक किंतु 1500 मीटर से कम औसत समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात या मेरकारा या ऐसे स्थानों में जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया है	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,650/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन
3.	औसत समुद्री तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो औसत समुद्री तल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई की पहाडियों से घिरे हुए है और जहॉ केवल पहाडियों के बीच से ही पहुंचा जा सकता है, स्थानों पर तैनात हैं ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,650/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए।'।

7. उक्त नियमों के नियम 7ख में, "710 रूपए", अंकों और शब्द के स्थान पर, "1175 रूपए", अंक और शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 7ग में, "1,595 रूपए", अंकों और शब्द के स्थान पर, "2,630 रूपए", अंक और शब्द रखे जाएंगे।

9. नियम 7(छ) में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात् : -

क्र. सं.	प्रवर्ग	प्रति माह भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्रीय प्रबंधक (चयन)	26,700/-

2.	क्षेत्रीय प्रबंधक (सामान्य)	23,800/-
3.	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/उप क्षेत्रीय प्रबंधक	20,800/-
4.	मंडल प्रबंधक	17,800/-
5.	सहायक मंडल प्रबंधक	14,900/-
6.	प्रशासनिक अधिकारी	11,900/-
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	8,900

10. उक्त नियमों के नियम 9ख में, "1,960 रूपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "3,300 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 9घ में "265 रूपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "440 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

(1) सा.का.नि. 960(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987

(2) सा.का.नि. 493(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988

(3) सा.का.नि. 872(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988

(4) सा.का.नि. 711(अ), तारीख 25 जुलाई, 1989

(5) सा.का.नि. 816 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1990

(6) सा.का.नि. 324(अ), तारीख 10 मार्च, 1992

(7) सा.का.नि. 53(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994

(8) सा.का.नि. 597(अ), तारीख 30 जून, 1995

(9) सा.का.नि. 94(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996

(10) सा.का.नि. 286(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996

(11) सा.का.नि. 530(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998

(12) सा.का.नि. 612(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999

(13) सा.का.नि. 550(अ), तारीख 22 जून 2000

(14) सा.का.नि. 287(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004

(15) सा.का.नि. 559(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005

(16) सा.का.नि. 305(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007

(17) सा.का.नि. 631(अ), तारीख 2 सितंबर, 2009

(18) सा.का.नि. 824(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010

(19) सा.का.नि. 16(अ), तारीख 8 जनवरी, 2013

(20) सा.का.नि. 28(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016

(21) सा.का.नि. 194(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016

(22) सा.का.नि. 402(अ), तारीख 31मई, 2019

(23) सा.का.नि. 268(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021

(24) सा.का.नि. 610(अ), तारीख 17 अगस्त, 2023

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) These rules shall be applicable to those Class-I Officers, who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2022:

Provided that where any Class-I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2022 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by these rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such officer:

Provided further that an officer, whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"**4. Scales of pay and seniority of Class-I Officers.—** (1) The scale of pay of the Class-I Officers shall be as specified in the table below:-

S. No.	Entry	Class-I Officer posts	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	Zonal Managers	(a) Ordinary Scale: Rs. 2,41,965-7,320(8)-3,00,525
	(ii)	Chief Engineers / Chief Architects	(b) Selection Scale: Rs. 2,71,245-7,320(2)-2,85,885-7,850(1)-2,93,735-8,590(1)-3,02,325-8,905(4)-3,37,945
2.	(i)	Deputy Zonal Managers / Senior Divisional Managers	Rs. 2,16,115-6,265(3)-2,34,910-7,055(6)-2,77,240
	(ii)	Deputy Chief Engineers / Deputy Chief Architects	

3.	(i) (ii)	Divisional Managers Superintending Engineers / Senior Surveyors of Works / Senior Architects	Rs. 1,78,525-6,265(9)-2,34,910
4.	(i) (ii)	Assistant Divisional Managers / Senior Branch Managers Executive Engineers / Surveyors of Works / Deputy Senior Architects	Rs. 1,45,640-4,385(1)-1,50,025-4,750(6)-1,78,525-6,265(4)-2,03,585
5.	(i) (ii)	Administrative Officers / Branch Managers Assistant Executive Engineers / Assistant Surveyors of Works / Architects	Rs. 1,19,330-4,385(7)-1,50,025-4,750(6)-1,78,525
6.	(i) (ii)	Assistant Administrative Officers / Assistant Branch Managers Assistant Engineers / Assistant Architects	Rs. 88,635-4,385(14)-1,50,025-4,750(4)-1,69,025.

(2) A separate seniority list shall be maintained in respect of officers appointed to posts specified in entries (i) and (ii) under various serial numbers in the table in sub-rule (1).".

3. In rule 5 of the said rules, ─

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(1) The scale of dearness allowance applicable to Class-I Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No.8456 in the series 1960=100.

(c) Rate: For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 8456 points, a Class-I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.06 per cent. of pay plus Special Allowance under Rule 7G.

***Explanation.*—**For the purposes of this clause, "pay" means the basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under rule 4A.';

(b) in sub-rule (2), for the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364", the figures and words "8456 points in the sequence of 8456-8460-8464-8468" shall be substituted.

4. In rule 6 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(1) The House Rent Allowance applicable to Class-I Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as specified in the table below:—

S. No.	Place of posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.13,000/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, except those mentioned at S. No.1, and any city in the State of Goa	8 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.11,000/- per month
3.	Other places	7 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 10,500/- per month.

Note:- For the purposes of this sub-rule,─

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay, additions to basic pay under rule 4A and Fixed Personal Allowance under rule 9A.'.

5. For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

'**7. City Compensatory Allowance.—**The City Compensatory Allowance payable to Class-I Officers shall be as specified in the table below:—

S.No.	Place of posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.3,300/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, except those mentioned at S. No.1, and any city in the State of Goa	2.5 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 3,100 /- per month
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair, and Panchkula	2 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 2,400 /- per month

Note:- For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay plus additions to basic pay under rule 4A.'.

6. For rule 7A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

'**7A. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Class-I Officers shall be as specified in the table below:—

S. No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.2,055/-per month
2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,650/- per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,650/- per month.'.

7. In rule 7B of the said rules, for the letters and figures "Rs. 710/-", the letters and figures "Rs.1,175" shall be substituted.

8. In rule 7C of the said rules, for the letters and figures "Rs. 1,595/-", the letters and figures "Rs. 2,630" shall be substituted.

9. In rule 7(G), for the table, following table shall be substituted, namely:-

"S.No.	Category	Allowance per month (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Zonal Manager (Selection)	26,700/-
2.	Zonal Manager (Ordinary)	23,800/-
3.	Senior Divisional Manager / Deputy Zonal Manager	20,800/-
4.	Divisional Manager	17,800/-
5.	Assistant Divisional Manager	14,900/-
6.	Administrative Officer	11,900/-
7.	Assistant Administrative Officer	8,900/-.".

10. In rule 9B of the said rules, for the letters and figures "Rs. 1,960/-", the letters and figures "Rs.3,300/-" shall be substituted.

11. In rule 9D of the said rules, for the letters and figures "Rs 265/-", the letters and figures "Rs.440/-" shall be substituted.

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note: The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 11th October, 1985 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 960(E), dated the 7th December, 1987

(2) G.S.R. 493(E), dated the 22nd April, 1988

(3) G.S.R. 872(E), dated the 22nd August, 1988

(4) G.S.R. 711(E), dated the 25th July, 1989

(5) G.S.R. 816(E), dated the 11th October, 1990

(6) G.S.R. 324(E), dated the 10th March, 1992

(7) G.S.R. 53(E), dated the 2nd February, 1994

(8) G.S.R. 597(E), dated the 30th June, 1995

(9) G.S.R. 94(E), dated the 16th February, 1996

(10) G.S.R. 286(E), dated the 18th July, 1996

(11) G.S.R. 530(E), dated the 27th August, 1998

(12) G.S.R. 612(E), dated the 30th August, 1999

(13) G.S.R. 550 (E), dated the 22nd June, 2000

(14) G.S.R. 287(E), dated the 27th April,2004

(15) G.S.R. 559(E), dated the 5th September, 2005

(16) G.S.R. 305(E), dated the 25th April,2007

(17) G.S.R. 631(E), dated the 2nd September, 2009

(18) G.S.R. 824(E), dated the 8th October,2010

(19) G.S.R. 16(E), dated the 8th January,2013

(20) G.S.R. 28(E), dated 14th January, 2016

(21) G.S.R. 194(E), dated 26th February, 2016

(22) G.S.R. 402(E), dated 31st May, 2019

(23) G.S.R. 268(E), dated 15th April, 2021

(24) G.S.R. 610(E), dated 17th August, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 257(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन विकास अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु यह कि जहाँ कोई विकास अधिकारी, उस तारीख के जो 1 अगस्त, 2022 से पूर्व की नहीं होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी और शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे विकास अधिकारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसे विकास अधिकारी जिनका त्यागपत्र 1 अगस्त, 2022 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण के कारण बकाया राशि के लिए पात्र नहीं होंगे

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,

(अ) नियम 2 में खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात :-

'ड. "विशेष नियमों" से समय-समय पर संशोधित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 अभिप्रेत है।'

(ब) नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) विकास अधिकारी का वेतनमान 58,885-3,645(2)-66,175-4,300(2)-74,775-4,385(17)-1,49,320 रुपए होगा"।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(ख)आधार:

1960 = 100 की श्रंखला में सूचकांक सं 8456

(ग) दर : अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 8456 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को वेतन और नियम 7(ग) के अंतर्गत विशेष भत्ता पर 0.06 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वेतन" से मूल वेतन अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं।';

(ii) उपनियम (2) में "6352-6356-6360-6364की शृंखला में 6352", अंको और शब्दों के स्थान पर, "8456-8460-8464-8468 की शृंखला में 8456" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारियों का, उनके सिवाए जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा:

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
(1)	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलूरु एवं 45 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 13,000/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों के सिवाय, 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगर एवं गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 11,000/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 10,500/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण : इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, –

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता।'

5. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'7. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता - विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा:-

सारणी

क्र. सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकारात्मक भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
i	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 2,800/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

ii	क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों के सिवाय, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम है एवं गोवा राज्य में कोई नगर	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 2,600/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
iii	पांच लाख और उससे अधिक किंतु 12 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुद्दुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 2,300/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों मे उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां अभिप्रेत' है ।

6. उक्त नियमों के नियम 7क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"7क. पर्वतीय भत्ता.- विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे :-

क्रम सं.	**स्थान**	**दर**
(1)	(2)	(3)
1.	समुद्री तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,650/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2.	समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, या मेरकारा पर या ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,305/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3.	समुद्री तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1,305/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए ।"

7. उक्त नियम के नियम 7ग के उप-नियम (1) में, "3,200/- रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "6,400/- रुपए", अंकों और शब्दों को रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**10. साम्यापूर्ण अनुतोष.** – (1) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 के नियम 4 में, किसी बात के होते हुए भी, निगम, विकास अधिकारियों की बाबत 1 अप्रैल, 2024 के पूर्व की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि प्रदान करने के लिए अनुदेशों द्वारा उप-नियम (2) में दी गई पद्धति से साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में उपबंध कर सकेगा।

(2) विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए 1 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक और 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष निम्नानुसार होगा:-

(i) 1 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 25% इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के तुरंत पश्चात आरंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का भागरूप होगा और वार्षिक पारिश्रमिक निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 75% भाग की संगणना नहीं की जाएगी; और

(ii) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 25 प्रतिशत बारह माह की प्रथम उल्लिखित अवधि के बाद बारह माह की अवधि के मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का भागरूप होगा और वार्षिक पारिश्रामिक निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 75 प्रतिशत भाग की संगणना नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण:-

(1) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों का भागरूप होगा ।

(2) निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 51 के उप-नियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अगस्त 2022 को या उसके **पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह **विनिर्दिष्ट** कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नही और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निर्बंधन और शर्ते क्या होंगी :

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियमों के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए, जहा मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे ।"

9. उक्त नियमों के नियम 10ग में, अंकों और शब्दों "265/- रुपए" के स्थान पर "440/- रुपए", अंकों और शब्दों को रखा जाएगा।

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 भारत के राजपत्र; असाधारण भाग II खंड 3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि.सं. 1091(अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका तत्पश्चात् संशोधन निम्नावत किया गया:

(1) सा.का.नि. 962(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987;

(2) सा.का.नि. 871(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988;

(3) सा.का.नि. 968(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1989;

(4) सा.का.नि. 825(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 1990;

(5) सा.का.नि. 55(अ), तारीख 21 जनवरी, 1992;

(6) सा.का.नि. 325(अ), तारीख 10 मार्च, 1992;

(7) सा.का.नि. 54(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994;

(8) सा.का.नि. 596(अ), तारीख 30 जून, 1995;

(9) सा.का.नि. 95(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996;

(10) सा.का.नि. 287(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996;

(11) सा.का.नि. 531(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998;

(12) सा.का.नि. 551(अ), तारीख 22 जून, 2000;

(13) सा.का.नि. 288(अ), तारीख 27 अप्रेल, 2004;

(14) सा.का.नि. 560(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005

(15) सा.का.नि. 825(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010,

(16) सा.का.नि. 29(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016,

(17) सा.का.नि. 196(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016

(18) सा.का.नि. 403(अ), तारीख 31 मई, 2019

(19) सा.का.नि. 269(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021

(20) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 7 जुलाई, 2021 द्वारा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) These rules shall be applicable to those Development Officers, who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2022:

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2022 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by these rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such Development Officer:

Provided further that a Development Officer, whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009 or under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, during the period from the 1st August, 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules),

(a) in rule 2, for sub-rule (e), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(e) **"Special Rules**" means the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009 as amended from time to time'.

(b). in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scales of pay of the Development Officer shall be Rs. 58,885-3,645(2)-66,175-4,300(2)-74,775-4,385(17)-1,49,320".

3. In rule 5 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No.8456 in the series 1960=100.

(c) Rate: For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 8456 points, a Class-I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.06 per cent. of pay plus Special Allowance under rule 7C.

Explanation.—For the purposes of this clause, "pay" means the basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under sub-rule (3) of rule 4.';

(ii) in sub-rule (2), for the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364", the figures and words "8456 points in the sequence of 8456-8460-8464-8468" shall be substituted.

4. In rule 6 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

'(1) The House Rent Allowance of Development Officers, except those who are allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as specified in the table below:—

S. No.	Place of posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.13,000/- per month
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, except those mentioned at S.No. 1, and any city in the State of Goa	8 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.11,000/- per month
3.	Other places	7 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 10,500/- per month

Note: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance.'.

5. For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

'**7. City Compensatory Allowance.—**The City Compensatory Allowance payable to Development Officers shall be as specified in the table below:—

S. No.	Place of posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs.2,800/- per month

2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, except those mentioned at S. No. 1, and any city in the State of Goa	2.5 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 2,600 /- per month
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair and Panchkula	2 per cent. of pay, subject to a maximum of Rs. 2,300 /- per month.

Note:- For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay plus additions to basic pay.'.

6. For rule 7A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

'**7A. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Development Officers shall be as specified in the table below:—

S.No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,650/- per month
2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs. 1,305/- per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs. 1,305/- per month.'.

7. In rule 7C of the said rules, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs.3,200/-", the letters and figures "Rs.6,400/-" shall be substituted.

8. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"**10. Equitable Relief. —** (1) Notwithstanding anything contained in rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009, the Corporation may, in respect of Development Officers, by instructions, provide for grant of arrears of salary for the period prior to the 1st April, 2024 by way of equitable relief in the manner provided in sub-rule (2).

(2) The equitable relief paid for the period from 1st August, 2022 to 31st March, 2023 and 1st April, 2023 to 31st March, 2024 for the purpose of arriving at the annual remuneration for the purpose of appraisal year under the special rules shall be shown below:-

(i) 25 per cent. of the equitable relief paid for the period 1st August, 2022 to 31st March, 2023 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year commencing immediately after the date of publication of these rules and 75 per cent. of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration; and

(ii) 25 per cent. of the equitable relief paid for the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the first mentioned period of twelve months and 75 per cent. of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration.

Explanation.-

(1) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 2024 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-rule (2) of rule 51 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 for fixation of basic pay in the scales of pay, as revised by these rules, of persons who may have worked as Development Officers on or after the 1st August, 2022 but before the date of publication of this notification in the Official Gazette, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payments by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof :

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the Special Rules.

(3) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.".

9. In rule 10C of the said rules, for the letters and figures “Rs. 265/-”, the letters and figures “Rs. 440/-” shall be substituted.

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note:- The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1091(E), dated the 17th September, 1986 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 962(E), dated the 7th December, 1987

(2) G.S.R. 871(E), dated the 22nd August,1988

(3) G.S.R. 968(E), dated the 7th November, 1989

(4) G.S.R. 825(E), dated the 9th October, 1990

(5) G.S.R. 55(E), dated the 21st January, 1992

(6) G.S.R. 325(E), dated the 10th March, 1992

(7) G.S.R. 54(E), dated the 2nd February, 1994

(8) G.S.R. 596(E), dated the 30th June, 1995

(9) G.S.R. 95(E), dated the 16th February, 1996

(10) G.S.R. 287(E), dated the 18th July, 1996

(11) G.S.R. 531(E), dated the 27th August, 1998

(12) G.S.R. 551(E), dated the 22nd June, 2000

(13) G.S.R. 288(E), dated the 27th April,2004

(14) G.S.R. 560(E), dated the 5th September, 2005

(15) G.S.R. 825(E), dated the 8th October,2010

(16) G.S.R. 29(E), dated 14th January, 2016

(17) G.S.R. 196(E), dated 26th February, 2016

(18) G.S.R. 403(E), dated 31st May, 2019

(19) G.S.R. 269(E), dated 15th April, 2021

(20) G.S.R. 476(E), dated 7th July, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 258(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन एवं शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन एवं शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन वर्ग III और IV के कर्मचारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु जहाँ यदि कोई वर्ग III और IV कर्मचारी 1 अगस्त, 2022 के पश्चात् और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व इन नियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित किए जाने के लिए अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम को एक लिखित नोटिस देता है , तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार चुनी हुयी तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा ।

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2022 से इस राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे वर्ग 3 या 4 के कर्मचारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया राशि के पात्र नहीं होंगे ।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई कर्मचारी उन अतिकालिक मजदूरियों से जिनके लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पूर्व वह हकदार था, अधिक अतिकालिक मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधन एवं शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के स्थान पर निम्न नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. वर्ग III के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते.- (1) वर्ग III के कर्मचारियों के वेतनमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी:-

वर्ग III कर्मचारी पद	वेतनमान
(1)	(2)
उच्चतर ग्रेड सहायक	58,325-3,925(3)-70,100-4,385(15)-1,35,875 रुपये
आशुलिपिक	48,745-2,800(4)-59,945-3,245(2)-66,435-3,960(3)-78,315-4,110(2)-86,535-4,385(8)-1,21,615 रुपये
सहायक, गृहिता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त सहायक, प्रोजेक्शनिस्ट और	38,700-2,275(1)-40,975-2,485(2)-45,945-2,800(5)-59,945-3,245(2)-66,435-3,960(3)-78,315-4,110(2)-

माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक	86,535-4,385(5)-1,08,460 रुपये
अभिलेख लिपिक	35,850-1,280(4)-40,970-2,020(3)-47,030-2,275(2)-51,58(2,300(6)-65,380-2,485(6)-80,290 रुपये

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे :-

(क) ऐसे उच्चतर ग्रेड सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं : -

(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए – 2,515 रुपए प्रति मास

(ख) आगामी पांच वर्ष के लिए - 2,870 रुपए प्रति मास

(ग) पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए - 3,100 रुपए प्रति मास

(ख) ऐसे सहायक जो गृहीता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त किए गए हैं – 5,820 रुपए प्रति मास ;

(ग) वर्ग III के कर्मचारियों के लिए नकदी संदाय और गृहीत करने के लिए प्रति मास 140/- रुपए रोकड़िया भत्ता प्रदान किया जायेगा :

परंतु यह कि इस भत्ते की गणना महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराया भत्ता, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण और प्रोन्नति होने पर वेतन नियतन की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।"

(3) वृतिमूलक भत्ता वर्ग 3 के कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को संदत्त किया जाएगा:-

(क) ऐसे बंदा, डुप्लिकेटिंग और ज़ेरोक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में हैं- 355 रुपए प्रति मास ;

(ख) ऐसे माईक्रोप्रोसेसर प्रचालक जो सहायकों के वेतनमान में हैं – 670 रुपए प्रति मास ;

(ग) ऐसे प्रोग्रामर जो उच्चतर ग्रेड सहायकों के वेतनमान में हैं – 2,095 रुपए प्रति मास :

परंतु यह कि विद्यमान वर्ग III के कर्मचारी, जो 31 जुलाई 2022 को कोई वृत्तिमूलक भत्ता प्राप्त कर रहें हैं, उसे तब तक प्राप्त करते रहेगें जब तक उस पद पर बना रहता है जिस पर वृत्तिमूलक भत्ता मिलता है, भविष्य में मजदूरी के पुनरीक्षण पर आमेलित कर लिया जाएगा"।

3. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"6. वर्ग IV के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान .- (1) वर्ग IV के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे:-

वर्ग IV कर्मचारी पद	वेतनमान
(1)	(2)
चालक	35,850-1,620(6)-45,570-1,680(1)-47,250-2,020(12)-71,490 रुपये
सिपाही, हमाल, प्रधान- चपरासी, लिफ्ट मैन और चौकीदार	31,205-1,280(5)-37,605-1,365(8)-48,525-1,620(1)-50,145-1,680(2)-53,505-2,020(3)-59,565 रुपये
झाड़ूकस और सफाईवाले	29,585-1,280(5)-35,985-1,365(8)-46,905-1,620(6)-56,625 रुपये

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वर्ग IV के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों के अतिरिक्त,-

" (क) निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा:

प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन और चौकीदार- 2,670 रुपए प्रति मास;
(ख) सिपाही के वेतनमान के फ्रैंकिंग मशीन प्रचालकों को 285/- रुपए प्रति मास का वृत्तिमूलक भत्ता संदत्त किया जाएगा"।

4. उक्त नियमों के नियम 8 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:-

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार: 1960=100 के क्रम में सूचकांक सं. 8456 ।

(ग) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 8456 प्वाइंट के ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए, वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी को वेतन और नियम 13 ख के अधीन विशेष भत्ता पर 0.06 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वेतन" से अभिप्रेत है-

(i) मूल वेतन ;

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन के अतिरिक्त;

(iii) नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(iv) नियम 19 क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता; और

(v) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता।';

(ख) उप-नियम (2) में, "6352-6356-6360-6364 के क्रम में 6352 प्वाइंटस" अंकों और शब्दों के स्थान पर "8456-8460-8464-8468 के क्रम में 8456 प्वाइंटस" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित किया गया है, वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्र. संख्या	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	**(2)**	**(3)**
1	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगाव, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू और 45 लाख और इससे अधिक जनसंख्या के अन्य शहर	न्यूनतम 2,900/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 13,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 10 प्रतिशत
2	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है, ऊपर क्रम संख्या (1) में वर्णित किसी नगर के सिवाय, तथा गोवा राज्य में कोई नगर	न्यूनतम 2500/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 11,000/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 8 प्रतिशत
3	अन्य स्थान	न्यूनतम 2,400/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 10,500/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 7 प्रतिशत

टिप्पण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिये,–

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है

(क) मूल वेतन जिसके अंतर्गत नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन के अतिरिक्त भी है;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भता;

(ग) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में संदेय स्नातक भत्ता;

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(ङ) नियम 19घ के अधीन उपबंधित नियत वैयक्तिक भत्ता।'।

6. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'**10. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता.-** वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्र. सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकारात्मक भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नवी मुंबई, हैदराबाद , बैंगलुरू एवं 45 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर	न्यूनतम 900/- रुपए प्रतिमास और अधिकतम 2,600/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 3 प्रतिशत
2.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है, ऊपर क्रम संख्या (1) में वर्णित नगरों को छोड़कर, और गोवा राज्य में कोई नगर	न्यूनतम 700/- रुपए प्रतिमास और अधिकतम 2,500/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 2.5 प्रतिशत
3.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की ऐसी राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ, मोहाली, पुदुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	न्यूनतम 600/- रुपए प्रतिमास और अधिकतम 2,100/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन, वेतन का 2 प्रतिशत|

टिप्पण:- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होगी; और

(iii)"वेतन" से वर्ग 4 के कर्मचारियों को नियम 7 में निर्दिष्ट संदेय मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता अभिप्रेत है।'।

7. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'**11. पर्वतीय स्थान भत्ता**.- वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा:-

क्र. सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	अधिकतम 1,650/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन, मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से

2.	औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों, मेरकारा पर या ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है।	अधिकतम 1,305/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन, मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्य ऊंचाई पर स्थित या ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों से होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात है।	अधिकतम 1,305/- रुपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से]'|

8. उक्त नियमों के नियम 13ख के उप-नियम (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क्र. सं.	वर्ग	प्रति माह भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	उच्चतर ग्रेड सहायक	6,000
2.	आशुलिपिक	5,000
3.	सहायक	4,000
4.	अभिलेख लिपिक	3,600
5.	ड्राइवर	3,600
6.	चपरासी	3,200
7.	झाडूकस	3,000.".

9. उक्त नियमों के नियम 19क में,- (1) उप-नियम (क) में "स्नातक वेतन-वृद्धि" से संबंधित, लम्बी पंक्ति के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख के पश्चात् जिन्हें सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है जिनके लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता स्नातक है, वे स्नातक वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।"

(2) "स्नातक भत्ता वृद्धि" से संबंधित उप-नियम (ख) में,-

(क) खंड (i) में "755/- रुपये" अंक और अक्षर के स्थान पर "1,245/- रुपये" अंक और शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (ii) में,- (I) मद (क) में, "1,625/- रुपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "2,680/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(II) मद (ख) में, "830/- रुपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1,370/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(III) मद (ग) में, "1,625/- रुपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "2,680/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 19ङ में "680/- रुपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1,200/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 19च में "265/- रुपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "440/- रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर इस अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम, 1985 भारत के राजपत्र, असाधारण्, भाग 2, खण्ड 3 ,उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 357(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

(1) सा.का.नि. 18(अ), तारीख 7 जनवरी,1986

(2) सा.का.नि. 1076 (अ), तारीख 11 सितंबर, 1986

(3) सा.का.नि. 961 (अ), तारीख 7 दिसम्बर 1987

(4) सा. का.नि. 870(अ), तारीख 22 अगस्त 1988

(5) सा. का.नि. 873 (अ), तारीख 22 अगस्त 1988

(6) सा.का.नि. 515(अ), तारीख 12 मई 1989

(7) सा. का. नि. 509 (अ), तारीख 24 मई 1990

(8) सा. का.नि. 620 (अ), तारीख 6 जुलाई, 1990

(9) सा.का.नि. 628 (अ), तारीख 10 जुलाई,1990

(10) सा.का.नि. 338(अ), तारीख 11 जुलाई,1991

(11) सा.का.नि. 697अ), तारीख 25 नवम्बर, 1991

(12) सा.का.नि. 46(अ), तारीख 4 फरवरी, 1993

(13) सा.का.नि. 47(अ), तारीख 4 फरवरी, 1993

(14) सा.का.नि.746(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1993

(15) सा.का.नि. 55(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994

(16) सा. का.नि. 595(अ), तारीख 30 जून, 1995

(17) सा.का.नि. 669(अ), तारीख 27 सितंबर, 1995

(18) सा.का.नि. 96(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996

(19) सा.का.नि. 102(अ), तारीख 22 फरवरी, 1996

(20) सा.का.नि. 261(अ), तारीख 22 मई, 1998

(21) सा.का.नि. 532(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998

(22) सा.का.नि. 445(अ), तारीख 18 जून, 1999

(23) सा.का.नि. 611(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999

(24) सा.का.नि. 552(अ), तारीख 22 जून, 2000

(25) सा.का.नि. 289(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004

(26) सा.का.नि. 561(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005

(27) सा.का.नि. 306(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007

(28) सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2008

(29) सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010

(30) सा.का.नि. 30(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016

(31) सा.का.नि. 195(अ), तारीख 26 फरवरी, 2016

(32) सा.का.नि. 1087(अ), तारीख 24 नवंबर, 2016

(33) सा.का.नि. 404(अ), तारीख 31 मई, 2019

(34) सा.का.नि. 270 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021

(35) सा.का.नि. 609(अ), तारीख 17 अगस्त, 2023

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2024.

(2)They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3)These rules shall be applicable to those Class III and Class IV employees, who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2022:

Provided that where any Class III and Class IV employees gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from a date which is not earlier than 1st August, 2022 and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such employees to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such employees:

Provided further that the Class III and Class IV employees whose resignations had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision under these rules.

(4) Nothing contained in these rules shall entitle an employee to claim overtime wages higher than what he had been entitled to prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Scales of pay and other allowance of Class III employees.–(1) The scale of pay of the Class III Employees shall be as specified in the table below:—

Class III employees posts	Scale of pay
(1)	(2)
Higher Grade Assistants	Rs. 58,325-3,925(3)-70,100-4,385(15)-1,35,875
Stenographers	Rs. 48,745-2,800(4)-59,945-3,245(2)-66,435-3,960(3)-78,315-4,110(2)-86,535-4,385(8)-1,21,615
Assistants, Assistants Appointed as Receiving and Paying Cashiers, Projectionists and Microprocessor Operators	Rs. 38,700-2,275(1)-40,975-2,485(2)-45,945-2,800(5)-59,945-3,245(2)-66,435-3,960(3)-78,315-4,110(2)-86,535-4,385(5)-1,08,460
Record Clerks	Rs. 35,850-1,280(4)-40,970-2,020(3)-47,030-2,275(2)-51,580-2,300(6)-65,380-2,485(6)-80,290.

(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule (1), the following categories of employees shall receive a special allowance to the extent specified below:-

(A) Higher Grade Assistants appointed as Internal Audit Assistants:

(a) for the first five years - Rs.2,515/- per month

(b) for the next five years - Rs.2,870/- per month

(c) for the subsequent years - Rs.3,100/- per month

(B) Assistants appointed as receiving and paying Cashiers - Rs.5,820/- per month;

(C) Officiating Cashier Allowance to Class III shall be Rs.140/- per day for paying and receiving cash:

Provided that this allowance shall not be reckoned for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, encashment of privilege leave and fixation of pay upon promotion.

(3) Functional Allowance shall be paid to the following categories of Class III employees:–

(a) Banda, Duplicating and Xerox Machine Operators in the scale of pay of Record Clerks – Rs.355/- per month;

(b) Microprocessor Operators in the scale of pay of Assistants – Rs.670/- per month;

(c) Programmers in the scale of pay of Higher Grade Assistants – Rs.2,095/- per month:

Provided that an existing Class III employee, who is in receipt of any Functional Allowance as on the 31st day of July, 2022 shall continue to draw the same so long as he is holding the post to which the Functional Allowance is attached, to be absorbed in future wage revision.".

3. For rule 6 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"6. Scale of pay of Class IV subordinate employees.– (1) The scales of pay of Class IV subordinate employees shall be as specified in the table below:-

Class IV employees posts	Scale of pay
(1)	(2)
Drivers	Rs. 35,850-1,620(6)-45,570-1,680(1)-47,250-2,020(12)-71,490
Sepoys, Hamals, Head Peons, Liftmen and Watchmen	Rs. 31,205-1,280(5)-37,605-1,365(8)-48,525-1,620(1)-50,145-1,680(2)-53,505-2,020(3)-59,565
Sweepers and Cleaners	Rs. 29,585-1,280(5)-35,985-1,365(8)-46,905-1,620(6)-56,625.

(2) In addition to the scales of pay of Class IV subordinate employees specified in sub-rule (1),—

(a) the following categories of employees shall receive special allowance to the extent specified below, which shall count as a basic pay for all purposes:

Head Peons, Liftmen and Watchmen – Rs.2,670/- per month;

(b) Franking Machine Operators in the scale of Sepoy shall be paid a Functional Allowance of Rs.285/- per month.".

4. In rule 8 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(1) The scale of Dearness Allowance of Class III and Class IV employees shall be determined as under:-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.8456 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 8456 points, a Class III or a Class IV employee shall be paid dearness allowance at the rate of 0.06 per cent. of pay plus Special Allowance under rule 13B.

Explanation.- For the purposes of this clause "pay" means -

(i) the basic pay;

(ii) additions to basic pay referred to in rule 7;

(iii) special allowance referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6;

(iv) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of pay of Assistants and Stenographers as provided in rule 19A; and

(v) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988.';

(b) in sub-rule (2), for the figures and words "6352 points in the sequence of 6352-6356-6360-6364", the figures and words "8456 points in the sequence of 8456-8460-8464-8468" shall be substituted ;

5. In rule 9 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(1) The House Rent Allowance of Class III and Class IV employees, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as specified in the table below:—

S. No.	Place of posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	10 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs.2,900/- per month and the maximum of Rs.13,000/- per month.
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, except those mentioned at S. No. 1, and any city in the State of Goa	8 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs. 2,500/- per month and the maximum of Rs. 11,000/- per month.
3.	Other places	7 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs. 2,400/- per month and the maximum of Rs. 10,500/- per month.

Note: For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means-

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in rule 7;

(b) special allowance referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6;

(c) Graduation Allowance payable in the scale of pay of Assistant and Stenographers as provided in rule 19A;

(d) Special Allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

(e) Fixed Personal Allowance provided under rule 19D.'.

6. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'**10. City Compensatory Allowance.—**The City Compensatory Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as specified in the table below:—

S.No.	Place of posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakh and above	3 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs. 900/- per month and the maximum of Rs. 2,600/- per month.
2.	Cities with population exceeding 12 lakh but less than 45 lakh, and except those mentioned at S. No. 1, and any city in the State of Goa	2.5 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs. 700/- per month and the maximum of Rs. 2,500/- per month.
3.	Cities with population of five lakh and above but not exceeding 12 lakh, State capitals with population not exceeding 12 lakh, Chandigarh, Mohali, Puducherry, Port Blair and Panchkula	2 per cent. of pay, subject to the minimum of Rs. 600/- per month and the maximum of Rs. 2,100/- per month.

Notes:- For the purposes of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay, additions to basic pay under rule 7 and special allowance payable to Class IV employees under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6.'.

7. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :-

'**11. Hill Allowance.—**The scales of Hill Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as specified in the table below:—

S. No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at a place situated at a height of 1,500 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2.5 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,650 per month
2.	Posted at a place situated at a height of 1,000 metres or more but less than 1,500 metres above the mean sea level, or at Mercara, or at a place which is specifically declared as a "hill station" by the Central Government or the State Government concerned for their employees	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,305 per month
3.	Posted at a place situated at a height of not less than 750 metres or more above the mean sea level and which is surrounded by and accessible only through hills having a height of 1,000 metres or more above the mean sea level	At the rate of 2 per cent. of basic pay subject to maximum of Rs.1,305 per month.'.

8. In rule 13B of the said rules, in sub-rule (1) for the table, following table shall be substituted, namely:-

"S.No.	Category	Allowance per month (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Grade Assistant	6,000/-
2.	Stenographer	5,000/-

3.	Assistant	4,000/-
4.	Record Clerk	3,600/-
5.	Driver	3,600/-
6.	Peon	3,200/-
7.	Sweeper	3,000/-.".

9. In rule 19A of the said rules,– (1) in sub-rule (a) relating to Graduation Increments", after the long line, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that those who are appointed as Assistant after the date of publication of this notification in the Official Gazette, where required minimum qualification is Graduate, shall not be eligible for Graduation Increments."

(2) In sub-rule (b) relating to "Graduation Allowance",—

(A) in clause (i), for the letters and figures "Rs.755/-", the letters and figures "Rs.1,245/-" shall be substituted;

(B) in clause (ii), -(I) in item (a), for the letters and figures "Rs.1,625/-", the letters and figures "Rs.2,680/-" shall be substituted;

(II) in item (b), for the letters and figures "Rs.830/-" , the letters and figures "Rs. 1,370/-" shall be substituted;

(III) in item (c), for the letters and figures "Rs.1,625/-" the letters and figures "Rs.2,680/-" shall be substituted;

10. In rule 19E of the said rules, for the letters and figures "Rs.680/-", the letters and figures "Rs.1,200/-" shall be substituted.

11. In rule 19F of the said rules, for the letters and figures "Rs.265/-", the letters and figures "Rs.440/-" shall be substituted.

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note: The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 357(E), dated the 11th April, 1985 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

(1) G.S.R. 18(E), dated the 7th January, 1986

(2) G.S.R. 1076(E), dated the 11th September, 1986

(3) G.S.R. 961(E), dated the 7th December, 1987

(4) G.S.R. 870(E), dated the 22nd August, 1988

(5) G.S.R. 873(E), dated the 22nd August, 1988

(6) G.S.R. 515(E), dated the 12th May, 1989

(7) G.S.R. 509(E), dated the 24th May, 1990

(8) G.S.R. 620(E), dated the 6th July, 1990

(9) G.S.R. 628(E), dated the 10th July, 1990

(10) G.S.R. 338(E), dated the 11th July, 1991

(11) G.S.R. 697(E), dated the 25th November, 1991

(12) G.S.R. 46(E), dated the 4th February, 1993

(13) G.S.R. 47(E), dated the 4th February, 1993

(14) G.S.R. 746(E), dated the 13th December, 1993

(15) G.S.R. 55(E), dated the 2nd February, 1994

(16) G.S.R. 595(E), dated the 30th June, 1995

(17) G.S.R. 669(E), dated the 27th September, 1995

(18) G.S.R. 96(E), dated the 16th February, 1996

(19) G.S.R. 102(E), dated the 22nd February, 1996

(20) G.S.R. 261(E), dated the 22nd May, 1998

(21) G.S.R. 532(E), dated the 27th August, 1998

(22) G.S.R. 445(E), dated the 18th June, 1999

(23) G.S.R. 611(E), dated the 30th August, 1999

(24) G.S.R. 552(E), dated the 22nd June, 2000

(25) G.S.R. 289(E), dated the 27th April,2004

(26) G.S.R. 561(E), dated the 5th September, 2005

(27) G.S.R. 306 (E), dated the 25th April,2007

(28) G.S.R. 72 (E), dated the 6th February, 2008

(29) G.S.R. 826 (E), dated 8th October, 2010

(30) G.S.R. 30 (E), dated 14th January, 2016

(31) G.S.R. 195 (E), dated 26th February, 2016

(32) G.S.R. 1087 (E), dated 24th November, 2016

(33) G.S.R. 404 (E), dated 31st May, 2019

(34) G.S.R. 270 (E), dated 15th April, 2021

(35) G.S.R. 609 (E), dated 17th August, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 259(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम 2024 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) ये नियम उन वर्ग-III कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु यह कि वैसे वर्ग-III कर्मचारी, जिनका त्यागपत्र 1 अगस्त, 2022 से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बीच स्वीकार किया गया हो या जिनकी सेवा भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 के अंतर्गत समाप्त कर दी गई हो, संशोधन के कारण बकाया राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम. सं.	वृत्तिक या तकनीकी परीक्षा	विशेष भत्ता
(1)	(2)	(3)
(i)	भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की परीक्षा: लाईसेन्सियेट (क) असोशिएटशिप (ख) अध्येतावृत्ति (ग़)	 (क) 915/- रुपए प्रतिमास (ख) 2,485/- रुपए प्रतिमास (ग) 4,245/- रुपए प्रतिमास
(ii)	इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ ऐक्चुयरीज, लंदन की परीक्षाएं	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 915/- रुपए प्रतिमास
(iii)	इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऐक्चुयरीज ऑफ़ इंडिया की परीक्षाएं	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 915/- रुपए प्रतिमास
(iv)	भारतीय चार्टर्ड अकाऊन्टेंट संस्थान तथा भारतीय लागत और संकर्म अकाउन्टेंट संस्थान की परीक्षाएं : इंटरमीडिएट (क) अंतिम समूह (ख)'क' या 'ख' अंतिम समूह (ग)'क' और 'ख'	 (क) 1,780/- रुपए प्रतिमास (ख) 3,045/- रुपए प्रतिमास (ग) 4,245/- रुपए प्रतिमास
(v)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर	4,245/- रुपए प्रतिमास
(vi)	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षा पास करने पर	4,245/- रुपए प्रतिमास।"

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 491 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.सं. 516(अ), तारीख 12 मई, 1989; सा.का.नि.सं. 621(अ), तारीख 6 जुलाई 1990; सा.का.नि.सं. 339(अ), तारीख 11 जुलाई, 1991; सा.का.नि.सं. 109(अ), तारीख 1 मार्च 1996; सा.का.नि.सं. 556(अ), तारीख 22 जून 2000; सा.का.नि.सं. 56 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002; सा.का.नि.सं. 563 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2005; सा.का.नि.सं. 828 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010; सा.का.नि.सं. 32 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 और सा.का.नि. सं. 271 (अ.), तारीख 15 अप्रैल, 2021 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किये गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 259(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) These rules shall be applicable to those Class-III employees, who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August 2022:

Provided that the Class-III employees, whose resignation have been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988, in rule 2, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

S.No.	Professional or Technical Examination	Special Allowance
(1)	(2)	(3)
(i)	Examination of the Insurance Institute of India, Mumbai: (a) Licentiate (b) Associateship (c) Fellowship	 (a) Rs. 915/- per month (b) Rs. 2,485/- per month (c) Rs. 4,245/- per month.
(ii)	Examination of the Institute and Faculty of Actuaries, London	Rs. 915/- per month on passing each subject.
(iii)	Examinations of the Institute of Actuaries of India	Rs. 915/- per month on passing each subject.
(iv)	Examinations of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Works and Accountants of India: (a) Intermediate (b) Final Group `A' or `B' (c) Final Group `A' and `B'	 (a) Rs. 1,780/- per month (b) Rs. 3,045/- per month (c) Rs. 4,245/- per month.
(v)	Master of Business Administration of a recognised University or Institution	Rs. 4,245/- per month.
(vi)	Final Examination of the Institute of Company Secretaries of India.	Rs. 4,245/- per month.”.

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note : The Life Insurance Corporation of India Class – III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 491(E), dated the 22nd April, 1988 and subsequently amended *vide* Notification numbers G.S.R. 516(E), dated the12th May, 1989; G.S.R 621(E),dated the 6th July, 1990; G.S.R. 339(E), dated the11th July,1991; G.S.R. 109(E), dated the 1st March, 1996; G.S.R. 556(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 56(E), dated the 22nd January, 2002; G.S.R. 563(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R.828(E), dated the 8th October, 2010 and G.S.R.32(E), dated the 14th January, 2016 and G.S.R. No.271(E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 260(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये 1 अगस्त, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम उन सभी कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त 2022 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2022 से इस राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम 1988 , नियम 2 में,-

(क) "2017" अंक को जिन दो स्थानों पर रखा गया है, उनके स्थान पर "2022" अंक रखा जाएगा;

(ख) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

सारणी

विशेष क्षेत्र का नाम		**नीचे दिए गए मूल वेतन* प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष क्षेत्र भत्ते की दर**	
		70100 रुपए तक	**70100 रुपए से अधिक**
1		**2**	**3**
1.	**मिजोरम**		
	(क) मिज़ोरम का चिम्तुपई एवं मिज़ोरम के लुंगलेई जिला में लुंगलेई नगर से 25 किलोमीटर के परे के क्षेत्र	6000	7800
	(ख) सम्पूर्ण लुंगलेई जिला, मिज़ोरम के लुंगलेई नगर से 25 किलोमीटर के परे क्षेत्र को छोड़कर	4800	6300
	(ग) मिजोरम का सम्पूर्ण आईजोल जिला	3600	4500
2.	**नागालैंड**	4800	6300
3.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**		
	(क) दक्षिणी अंडमान (जिसके अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर भी है)	4800	6300
	(ख) उत्तरी और मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोंदम द्वीप समूह	6000	7800
4.	**सिक्किम**	6000	7800
5.	**लक्षद्वीप**	6000	7800
6.	**असम**	960	1200
7.	**मेघालय**	960	1200
8.	**त्रिपुरा**		
	(क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया त्रिपुरा का कठिन क्षेत्र	4800	6300

	(ख) कठिन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	3600	4500
9.	**मणिपुर**	3600	4500
10.	**अरुणाचल प्रदेश**		
	(क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया अरुणाचल प्रदेश का कठिन क्षेत्र	6000	7800
	(ख) कठिन क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	4800	6300
11.	**जम्मू - कश्मीर**		
	(i) कठुआ जिला (क) नीआबत बानी; (ख) लोही (ग) मल्हार; (घ) मछोडी	6000	7800
	(ii) उधमपुर जिला (क) डूडू बसंतगढ़; (ख) लेंडर भामगइलाका; (ग) ठाकरकोटे; (घ) नागोट	6000	7800
	तहसील महोने		
	(i) कंबन की ओर से गूल तक के क्षेत्रों और केयासी साइड से अर्नास के क्षेत्रों के लिए	4800	6300
	(ii) शेष क्षेत्रों के लिए	6000	7800
	(iii) डोडा जिला		
	(क) किश्तवाड़ तहसील में पद्देर इलाके (ख) किश्तवाड़ तहसील में नीआबत नौगाम	6000	7800
	(iv) लेह जिला		
	(क) जन्सकार, नोयामा और नोबरे (ख) जिले में अन्य सभी स्थान	6000	7800
	(v) बारामुला जिला		
	(क) संपूर्ण गुरेज़-नीआबत, तंगदार उपखंड और केरन इलाका	6000	7800
	(ख) **मचैल**	4800	6300
	(vi) पुंछ और राजौरी जिलें में पुंछ और राजौरी जिला क्षेत्र जिनके अंतर्गत पुंछ और राजौरी शहर नहीं है तथा दोनों जिलों में सुंदरबानी और अन्य नगर क्षेत्र	3600	4500
	(vii) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (i) से (vi) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर या ऐसे स्थानों पर है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारीवृंद के लिए समय-समय पर सीमा भत्तों के लिए अर्हित घोषित किया जाए।	3600	4500

12.	**हिमाचल प्रदेश**		
	1. चंबा जिला		
	(क) पांगी उपखंड, भरमौर तहसील, बडगाँव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडाह पंचायतें, जगत ग्राम पंचायत के घाटू ग्राम, ग्राम पंचायत चौहट्टा का कनरासी	6000	7800
	(ख) भरमौर तहसील ऊपर (क) में दिये गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर	4800	6300
	(ग) भटियात तहसील का झंडरु पंचायत क्षेत्र, चुहा तहसील, बनीखेत मुख्य सहित डलहौज़ी शहर, चुराह तहसील, मुनार पंचायत और बलज परयाना	3600	4500
	2. किन्नौर जिला		
	(क) असरंग, चितकुल और हंगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खम्बा, नाथपा और रुपी के ग्राम पंचायत शामिल हैं, ऊपर निर्दिष्ट पंचायती क्षेत्रों को छोड़कर पूह उपखंड	6000	7800
	(ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण जिला	4800	6300
	3. कुल्लू जिला		
	(क) निर्माण तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायत शामिल हैं	6000	7800
	(ख) बाहरी-सराज क्षेत्र (जकात खाना तहसील के गाँव और निर्मण्ड तहसील में बरो को छोड़कर) और बाहरी-सराज और पंद्राबिस परगना को छोड़कर, जकात खाना के गाँव और निर्मण्ड तहसील में बरो और मलाना पंचायत क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जिला क्षेत्र	3600	4500
	(ग) मनाली-उज्झी क्षेत्र, पारवती और लाग्ग घाटी और बंजार खंड	960	1200
	4. लाहौल और स्पीति: लाहौल स्पीति जिले के संपूर्ण क्षेत्र	6000	7800
	5. शिमला जिला		
	(क) छब्बिस के परगने, रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और छड़ी-ब्रांदा की पंचायतें शामिल हैं।	6000	7800
	(ख) दोद्रा-क्वार तहसील, रामपुर तहसील के दरकाली का ग्राम पंचायत, काशापट तहसील और सरहान परगना का मुनीष, घोरी चैबीस	4800	6300
	(ग) शिमला शहर और उसके उप शहर (मशोबरा, दाली, तारादेवी, कसुम्बपती, जटोग और टूटू)	3600	4500
	(घ) देवोथि ग्राम पंचायत (तकलेश क्षेत्र) और नौबिस परगना और सरहान परगना के तीन कोटि और रामपुर तहसील का बाराबीस	3600	4500
	(ङ) त्राह चोपाल तहसील, चोपाल तहसील और घोरिस, पंच गाँव,पत्स्नौ, कस्बा रामपुर और रामपुर तहसील के परगना के घोरी नोग	3600	4500

	6. कांगड़ा जिला		
	(क) पालमपुर उपखंड का छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र	4800	6300
	(ख) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और उसकी नगर सीमाओं के बाहर परंतु धर्मशाला शहर में अवस्थिति निम्न कार्यालय: - महिलाओं का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), दारी, - यांत्रिक कार्यालय, रामनगर, - बाल कल्याण तथा नगर और शहरी योजना कार्यालय, साकोह, - निचले साकोह में केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरएसएफ) कार्यालय, - कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगिआर, - हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) कार्यशाला, सधेर, - प्रादेशिक मलेरिया कार्यालय, दरी, - फारेस्ट कारपोरेशन कार्यालय, शामनगर, - चाय फैक्टरी, दरी, - सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य (आईपीएच) उपखंड, डान, - बंदोबस्ती कार्यालय, शामनगर, - बिन्वा प्रोजेक्ट, शामनगर।	3600	4500
	(ग) पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (एचपीकेवीवी) कैंपस के साथ कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और उसकी नगरपालिका सीमाओं से बाहर अवस्थित किन्तु पालमपुर शहर में सम्मिलित निम्नलिखित कार्यालय: हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय कैंपस, कैटल डेवलपमेंट कार्यालय / जर्सी फार्म, बानुरी, सेरीकल्चर कार्यालय/इंडो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशाप/हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन, लोहाना, डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईई) डिवीजन, घुज्जर ।	3600	4500
	7. मंडी जिला		
	(क) करसोंग तहसील का महोग, सरहन, गोपालपुर, तेबन, पोखी नौज, खनोज, बागरा, सेंज महोदी खजोल, मंझ, पेखी और बालीधार पंचायत क्षेत्र, जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील के गाटो, बागराओ, छातरी, थच्चाधर-गरागोस, हैंन, कल्हानी, थामा, सिलिबगी, छेतधर, चनवार, टाची, जोहर, खोलानाल, सोमाचन, लोथ, जरवार , जंझेली और कलवानर की पंचायतें, थुनाग की पंचायतें, छोतधर, गरियास, सिलिबागी, थाना, धरमपुर बखंड की पंचायतें-बिंगा,	3600	4500

	कमलाह, सकलाना तनयार और तरखोलाह, सुंदर नगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धनियारा, पौरा, कोठी, सेरी और सोजा, जंझेली खंड, चचोइट तहसील		
	8. सिरमौर जिला		
	ट्रांस-गिरि भूभाग, बानी की पंचायतें, बखाली, (पच्छ्ड़ तहसील), भारोग-भेनीरी (पाओंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छ्ड़ तहसील), थाना कसोगा (नाहन तहसील)	3600	4500
	9. सोलन जिला: मंगल पंचायत क्षेत्र	3600	4500
	10. हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त नौ जिले में शामिल नहीं हैं	960	1200
13.	**उत्तराखंड:**		
	चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले (लोहाघाट के क्षेत्र को मिलाकर)के अधीन क्षेत्र	6000	7800
14.	**पश्चिमी बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला**		
	सुंदरबन क्षेत्र (दक्षिण का डेंपियर, हॉज की रेखा), अर्थात्, भगतागुश, खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बागना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसावा, अमलामाथी (विद्या), कैनिंग, कुल्ताली, पियाली, नालगराहा, रायदीघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसीनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुमारी, कुलटोला, घुशैगाटा (कुल्टी)	1500	1500

[सं. एम -16014/06/2022-बीमा–I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 492 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 934(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1989; सा.का.नि. 322(अ), तारीख 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. 555(अ), तारीख 22 जून, 2000; सा.का.नि. 818(अ), तारीख 2 नवंबर, 2001; सा.का.नि. 562(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005, सा.का.नि. 827(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010, सा.का.नि. 31(अ) तारीख 14 जनवरी, 2016 और सा.का.नि. 273(अ) 15 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, namely: -

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) These rules shall be applicable to all employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2022.

Provided that the employee, whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, in rule 2,—

(a) for the figures "2017", at both the places where they occur, the figures "2022" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely: –

TABLE

Name of Special Area		Rate of Special Area Allowances for employees drawing basic pay*	
		Upto Rs. 70100	Above Rs. 70100
(1)		(2)	(3)
1.	**MIZORAM**		
	(a) Chimptuipui district of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lungali town in Lunglei District of Mizoram	6000	7800
	(b) Throughout Lunglei district excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram	4800	6300
	(c) Throughout Aizawl district of Mizoram	3600	4500
2.	**NAGALAND**	4800	6300
3.	**THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	4800	6300
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	6000	7800
4.	**SIKKIM**	6000	7800
5.	**LAKSHADWEEP**	6000	7800
6.	**ASSAM**	960	1200
7.	**MEGHALAYA**	960	1200
8.	**TRIPURA**		
	(a) Difficult areas of Tripura as notified by the State Government from time to time	4800	6300
	(b) Throughout Tripura, except difficult areas	3600	4500
9.	**MANIPUR**	3600	4500
10.	**ARUNACHAL PRADESH**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh as notified by the State Government from time to time	6000	7800
	(b) Throughout Arunachal Pradesh, except difficult areas	4800	6300

11.	**JAMMU AND KASHMIR**		
	(i) Kathua district (a) NiabatBani (b) Lohi (c) Malhar (d) Machodi	6000	7800
	(ii) Udhampur district (a) Dudu Basantgarh (b) Lender BhamagIllaca (c) Thakrakote (d) Nagote	6000	7800
	Tehsil Mahone		
	(i) For area upto Gool from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side	4800	6300
	(ii) For the rest of the areas	6000	7800
	(iii) Doda district		
	(a) Illaquas of Padder in Kishtwar Tehsil (b) Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	6000	7800
	(iv) Leh district		
	(a) Zanskar, Noyama and Nobre (b) All other places in the district	6000	7800
	(v) Barmulla District		
	(a) Entire Gurez-Niabat, Tangdar, sub-division and Keran Illaqua	6000	7800
	(b) Machail	4800	6300
	(vi) Poonch and Rajouri districts - Areas in Poonch and Rajouri districts excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	3600	4500
	(vii) Areas not included in (i) to (vi) above, but which are within the distance of 8 kms, from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff	3600	4500
12.	**HIMACHAL PRADESH**		
	1. Chamba District		
	(a) Pangi sub-division, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah villages: Ghatu of gram panchayat Jagat, Kanrsi of gram panchayat Chauhata	6000	7800
	(b) Bharmour Tehsil excluding panchayats and villages of (a) above	4800	6300
	(c) Jhandru panchayat area of Bhatiyat Tehsil, Chuah Tehsil, Dalhousie Town including Banikhet proper, Churah Tehsil, Munr panchayat and Balazparyana	3600	4500

	2. Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 area comprising of gram panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division excluding the panchayat areas specified above	6000	7800
	(b) Entire district other than areas included in (a) above	4800	6300
	3. **Kullu District**		
	(a) 15/20 area of Nirman Tehsil, comprising of gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	6000	7800
	(b) Outer – Saraj (excluding village of Jakatkhana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding out Saraj Area and Pargana of Pandrabis but including villages of JakatKhana and Burrow of Tehsil Nirmand and Malana Panchayat area	3600	4500
	(c) Manali-Ujhi areas, Parvati and Lagg valley and Banjar Block	960	1200
	4.**Lahaul and Spiti**: Entire areas of Lahaul Spiti district	6000	7800
	5. **Shimla District**		
	(a) Paraganas of Chaibis, 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda	6000	7800
	(b) Dodra-Kwar Tehsil, gram panchayats of Darkali of Rampur Tehsil, Kashapat tehsil and Munish, GhoriChabis of ParaganaSarahan	4800	6300
	(c) Shimla Town and its suburbs (Mashobra, Dhalli, Taradevi, Kasumbpti, Jatog and Tutu)	3600	4500
	(d) Gram Panchayats Deothi (Taklech areas) and parganas of Naubis and Teen Koti of Paraganasarhan and Barabis of Rampur Tehsil	3600	4500
	(e) TrahChopal Tehsil, Chopal tehsil and Ghoris, PanchGaon, Patsnau, Kasba Rampur and Ghori Nog of Paragana of Rampur Tehsil	3600	4500
	6. **Kangra District**		
	(a) ChhotaBhangal and Bara Bhangal area of Palampur sub-division	4800	6300
	(b) Dharmashala town of Kangra District and the following offices located outside its municipal limits but included Dharmashala town: - Women's Industrial Training Institute (ITI), Dari, - Mechanical Workshop, Ramnagar, - Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, - Central Reserve Security Force (CRSF) office at Lower Sakoh, - Kangra Milk supply scheme, Dugiar, - Himachal Road Transport Corporation (HRCT) workshop, Sadher, - Zonal Malaria Office, Dari,	3600	4500

	- Forest Corporation Office, Shamnagar, - Tea Factory, Dari, - Irrigation and Public Health (IPH) sub-division, Dan, - Settlement Office, Shamnagar, - Binwa Project, Shamnagar.		
	(c). Palampur town of Kangra district including Himachal Pradesh Krishi Viswa Vidyalaya (HPKVV) campus of Palampur and following offices located outside its municipal limit but included in Palampur town- HP Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle development office or Jersi farm, Banuri, Sericulture office or Indo-German Agriculture workshop or Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) Division, Bundala electrical sub-division, Lohana, DPO Corporation, Bundla Electrical Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEE) division, Ghujjar.	3600	4500
	7. **Mandi District**		
	(a) Mahog, Sarhan, Gopalpur, Teban, PokhiNauj, Khanoj, Bagra, SainjMahudiKhajol, Manj, Pekhi and Balidhar Panchayats of Kersog Tehsil, Chhuhar Valley of Jogindar Nagar Tehsil Panchayats of Gatto, Bagraa, Chhatri, Thachadhar-Garagus-Hain, Kalhani, Thama. Silibagi, Chhetdhar, Chanvar, Tachi, Johar, Kholanal, Somachan, Loth, Jarwar, Janjheli and Kalwanar of Thunag Tehsil, Panchayats in Thunag, Chhotdhar, Gariyas, Silibagi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Camlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Sunder Nagar Tehsil – Bohi, batwara, Dhaniyara, Paura, Kothi, Seri and Soja, Janjjheli Block, Chachoit tehsil	3600	4500
	8. **Sirmaur District**		
	Trans-Giri Tract, Panchayats of Bani, bakhali, (Pachhad Tehsil), Bharog- Bheniri (Paonta tehsil), Birla (Nahan tehsil), Dibbar (Pachhad Tehsil), Thana Kasoga (Nahan Tehsil)	3600	4500
	9. **Solan district**: Mangal Panchayat Area	3600	4500
	10. Remaining areas in Himachal Pradesh not included in above nine districts	960	1200
13.	**UTTARAKHAND:**		
	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts (Including area of Lohaghat)	6000	7800
14.	**WEST BENGAL:** South 24 Parganas district		
	Sunderban areas (South of Dampier, Hodge's line), namely, Bhagtagush, Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosava, Amalamathi (Vidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namakhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kumari, Kultola, Ghushaigata (Kulti)	1500	1500.".

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988 were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R.492(E),dated the 22nd April,1988 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R.934(E), dated the 27th October, 1989; G.S.R. 322(E),dated the 10th March,1992; G.S.R. 555(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 818(E), dated the 2nd November, 2001; G.S.R. 562(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R.827 (E), dated the 8th October, 2010, G.S.R. 31(E), dated the 14th January, 2016 and G.S.R No. 273(E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1अगस्त, 2022 या उसके पश्चात निगम की सेवा में थे:

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2022 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसा कर्मचारी जिसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकायों के लिए पात्र नहीं होगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(क) सारणी 1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"**सारणी** 1

क्रम सं.	**उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों की संख्या**	**विशेष भत्ता प्रतिमास (रुपये में)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	प्रथम 3 तक	1,000 प्रति विषय
2.	4 से 6	1400 प्रति विषय
3.	7 से 9	2,000 प्रति विषय
4.	10 से 12	2,700 प्रति विषय
5.	13	4,000"

(ख) सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :

"**सारणी** 2

(यदि कोर समूह में तैनात है)

		विशेष भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह के लिए अतिरिक्त नियत भत्ता (दर प्रतिमास रूपये में)		
क्र. सं.	उत्तीर्ण या छूट प्राप्त विषयों की संख्या (2019 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार)	केन्द्रीय कार्यालय कोर समूह में पदधारियों के लिए	क्षेत्रीय कार्यालय कोर समूह में पदधारियों के लिए	केन्द्रीय कार्यालय में बीमांकिक विभाग के प्रधान के लिए	पदाभिहीत बीमांकिक के रूप में नामनिर्दिष्ट पदधारियों के लिए	मंडल प्रबंधक और उससे ऊपर के कैडर में पदधारियों के लिए
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	6	25,800	12,800	2,580	-	1,290
2	7	30,300	14,300	3,030	-	1,515
3	8	35,500	17,100	3,550	-	1,775
4	9	44,400	21,400	4,440	-	2,220
5	10	53,400	25,600	5,340	-	2,670
6	11	62,100	29,900	6,210	-	3,105
7	12	80,000	35,500	8,000	-	4,000
8	सभी विषय उत्तीर्ण	1,33,300	42,700	13,330	88,800	6,665

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(i) "पदाभिहीत बीमाकंक" से निगम का ऐसा पूर्णकालिक अधिकारी अभिप्रेत है जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऐक्चुयरीज ऑफ़ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ ऐक्चुयरीज, लंदन का फेलो सदस्य है और जिसे अध्यक्ष द्वारा या पदाभिहीत बीमाकंकों के चयन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समिति द्वारा बीमांकक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है;

(ii) कोई कर्मचारी सारणी 2 के स्तम्भ (5) या स्तम्भ (6) या स्तम्भ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट केवल एक अतिरिक्त नियत भत्ते, जो भी अधिक हो, के लिए ही हकदार होगा।'।

3. उक्त नियम के नियम 4 में उप-नियम (1) में, "1,25,000/- रुपये प्रति माह", अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "1,66,000/- रुपये प्रति माह" अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[स. एम -16014/06/2022-बीमा–I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 सा.का.नि. 55(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 564(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 753(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 334(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2014, सा.का.नि. 562(अ), तारीख 8 जून, 2017, सा.का.नि. 272(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021और सा.का.नि 474(अ), तारीख 7 जुलाई, 2021 के द्वारा संशोधन किये गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely: -

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2022.

(3) These rules shall be applicable to all confirmed employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2022:

Provided that the employee, whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2022 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision under these rules.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules),in rule 2, –

(a) for Table 1, the following Table shall be substituted, namely: -

"TABLE1

S. No.	Number of papers passed or cleared	Special allowance per month (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 3	1,000 per subject
2.	4 to 6	1,400 per subject
3.	7 to 9	2,000 per subject
4.	10 to12	2,700 per subject
5.	13	4,000";

(b) for Table 2, the following Table shall be substituted, namely: -

'TABLE 2

(If posted in Core-Group)

		Special Allowance (Rate per month in Rs.)		Additional Fixed Allowance for Central Office Core Group (Rate Per month in Rs.)		
SL No.	**Number of Papers Passed or exempted (as per new curriculum of 2019)**	**For officials in Central Office Core Group**	**For officials in Zonal Office Core Group**	**For Head of the Actuarial Department in Central Office**	**For officials nominated as Designated Actuary**	**For officials in the cadre of Divisional Manager and above**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**6**	**25,800**	**12,800**	**2,580**	**-**	**1,290**
2.	**7**	**30,300**	**14,300**	**3,030**	**-**	**1,515**
3.	**8**	**35,500**	**17,100**	**3,550**	**-**	**1,775**
4.	**9**	**44,400**	**21,400**	**4,440**	**-**	**2,220**
5.	**10**	**53,400**	**25,600**	**5,340**	**-**	**2,670**
6.	**11**	**62,100**	**29,900**	**6,210**	**-**	**3,105**
7.	**12**	**80,000**	**35,500**	**8,000**	**-**	**4,000**
8.	**All subjects passed or cleared**	**1,33,300**	**42,700**	**13,330**	**88,800**	**6,665.**

Explanation.–For the purposes of this rule,–

(i) "Designated Actuary" means**,** a full time officer of the Corporation, who is a Fellow Member of the Institute of Actuaries, India or Institute of Actuaries, London and who is nominated as a Designated Actuary by the Chairman or an officer or committee authorised by the Chairman for selection of the Designated Actuaries;

(ii) an employee shall be entitled only for one Additional Fixed Allowance specified under column (5) or (6) or (7) of Table 2, whichever is higher.'.

3. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 1,25,000/- p.m.", the letters, figures and words "Rs. 1,66,600/- per month" shall be substituted.

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002 were published *vide* notification number G.S.R.55(E), dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R.564(E), dated the 5th September, 2005,G.S.R.753(E), dated the 15th October, 2009, G.S.R.334(E), dated the 12th April, 2014,G.S.R. 562(E), dated the 8th June, 2017, G.S.R. 272(E), dated the 15th April, 2021 and G.S.R. 474(E), dated the 7th July, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 262(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप धारा (2) के खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

   (3) ये नियम निगम के पूर्णकालिक, वैतनिक और स्थायी वर्ग-I अधिकारियों पर लागू होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"3. विशेष भत्ता – नियम 4 में विनिर्दिष्ट स्थितियों के अध्यधीन उक्त सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें स्तंभ (2) में परीक्षा के सामने उल्लिखित विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

क्रम सं.	भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा का नाम	प्रतिमाह देय विशेष भत्ते की राशि
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	लाईसेन्सियेट	800/- रुपए
2.	असोशिएटशिप	3,200/- रुपए
3.	अध्येतावृत्ति	6,300/- रुपए"

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 267(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Special Allowance for Passing Examinations of Insurance Institute of India) Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Special Allowance for Passing Examinations of Insurance Institute of India) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to whole time salaried and confirmed Class I Officers of the Corporation.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Special Allowance for Passing Examinations of Insurance Institute of India) Rules, 2021, for rule 3, the following shall be substituted, namely:−

"3. Special allowance.−Subject to the conditions specified in rule 4, officers who pass the examination of the Insurance Institute of India set out in column (1) of the table below, shall be paid a special allowance specified in the corresponding entry in column (2) of the said table:

S.No.	Name of examination of Insurance Institute of India.	Amount of special allowance payable per month
(1)	(2)	(3)
1.	Licentiate	Rs.800/-
2.	Associateship	Rs.3,200/-
3.	Fellowship	Rs.6,300/-"

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Special Allowance for Passing Examinations of Insurance Institute of India) Rules, 2021 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 267(E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 263(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह (चयन, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का भुगतान) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह (चयन, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का भुगताननियम (, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह (चयन, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का भुगतान) नियम, 2007 के नियम 9 में,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) संवर्ग के लिए प्रयोज्य वेतन और अन्य लाभों के अतिरिक्त, चयनित कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह में कार्य-भार ग्रहण करने पर और इन सेवा में बने रहने तक, ऐसे कार्मिकों को निम्नानुसार नियत भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसका परिकलन किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में नहीं किया जाएगा:

(i) डेवलपर : 20,000/- रूपये प्रति माह

(ii) बिजनेस सिस्टम एनैलिस्ट : 30,000/- रूपये प्रति माह

(iii) प्रोजेक्ट लीडर : 40,000/- रूपये प्रति माह";

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्

"(3) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधन एवं शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 7(ग) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन एवं शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 4 के उप-नियम 3 के अधीन देय प्रकार्य भत्ता भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह (चयन, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का भुगतान) में कार्य-भार ग्रहण करने पर देय नहीं होगा।"

[सं. एम-16014/06/2022-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारतीय जीवन बीमा निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विशेष समूह (चयन, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का भुगतान) नियम, 2007 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 304(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 475(अ), तारीख 7 जुलाई, 2021 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

G.S.R. 263(E)—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Rules, 2007**,** namely: -

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India, Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Rules, 2007, in rule 9,–

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(1) In addition to the salary and other benefits applicable to the cadre, the selected personnel, on joining the Information Technology Specialist Group and till the period such personnel remains there, shall be paid a fixed allowance as under, which shall not count as basic pay for any purpose:

(i) Developer - Rs. 20,000/- per month

(ii) Business System Analysts - Rs. 30,000/- per month

(iii) Project Leader - Rs. 40,000/- per month.";

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) The Functional Allowance payable under rule 7(C) of Life Insurance Corporation of India Class-I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 and sub-rule (3) of rule 4 of Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, shall not be payable on joining the Information Technology Specialist Group."

[No. M-16014/06/2022-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Life Insurance Corporation of India, Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of Service and Payment Allowance) Rules, 2007 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 304(E), dated the 25th April, 2007 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. No. 475(E), dated the 7th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.30 22:08:57 +05'30'